संख्या-08/2018/2728/22-2-2017-17(656)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 04 जनवरी, 2018***

विषय:- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सीमित अवधि से दण्डित सिद्धदोष बन्दी अजीत पुत्र श्री रामकिशन निवासी जनपद-हापुड की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा/ (एम-06.09.2016) दिनांक 04.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सीमित अवधि से दण्डित सिद्धदोष बन्दी अजीत पुत्र श्री रामकिशन, जो ग्राम-नरैना, थाना-धौलाना, जनपद-हापुड का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश के कारण 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24.10.2009 की रात्रि लगभग 11:30 बजे, जब खुशीराम की पुत्री बोबिन अपने चबूतरे से लघुशंका करने के लिये उतरी थी, तब उसके साथ बलात्कार किया तथा मारपीट की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-384/2010 में भा0द0वि0 की धारा-363, 376, 323 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-5), गाजियाबाद के आदेश दिनांक 21.07.2012 द्वारा दस वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2016 तक 06 वर्ष 05 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 07 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 01 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-5 गाजियाबाद के आदेश दिनांक 16.04.2013 द्वारा जमानत पर कारागार से रिहा हो चुका है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख करते हुए कि बन्दी ने पुरानी रंजिश के कारण 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24.10.2009 की रात्रि लगभग 11:30 बजे, जब खुशीराम की पुत्री बोबिन अपने चबूतरे से लघुशंका करने के लिये उतरी थी, तब उसके साथ बलात्कार किया तथा मारपीट की। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अजीत पुत्र श्री रामकिशन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अजीत (बन्दी संख्या-7422/2012) पुत्र श्री रामकिशन निवासी जनपद-हापुड के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-08/2018/2728(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-08/2018/2728/22-2-2017-17(656)/2017

दिनांक 04 जनवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सीमित अवधि से दण्डित सिद्धदोष बन्दी अजीत पुत्र श्री रामकिशन, जो ग्राम-नरैना, थाना-धौलाना, जनपद-हापुड का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश के कारण 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24.10.2009 की रात्रि लगभग 11:30 बजे, जब खुशीराम की पुत्री बोबिन अपने चबूतरे से लघुशंका करने के लिये उतरी थी, तब उसके साथ बलात्कार किया तथा मारपीट की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-384/2010 में भा0द0वि0 की धारा-363, 376, 323 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-5), गाजियाबाद के आदेश दिनांक 21.07.2012 द्वारा दस वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2016 तक 06 वर्ष 05 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 07 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 01 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-5 गाजियाबाद के आदेश दिनांक 16.04.2013 द्वारा जमानत पर कारागार से रिहा हो चुका है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख करते हुए कि बन्दी ने पुरानी रंजिश के कारण 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24.10.2009 की रात्रि लगभग 11:30 बजे, जब खुशीराम की पुत्री बोबिन अपने चबूतरे से लघुशंका करने के लिये उतरी थी, तब उसके साथ बलात्कार किया तथा मारपीट की। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अजीत पुत्र श्री रामकिशन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in